ग्राम पंचायत सदरपुर विकास खण्ड काँगड़ा ,जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 **प्रस्तावना:-**

{क} ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत,ग्राम पंचायत सदरपुर,विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रवीन सैनी	22-01-10 से 21-01-16
2.	श्रीमति सुषमा देवी	22-01-16 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	18-04-09 से 31-05-13
2.	श्री अशवनी कुमार	01-06-13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्0.सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में }
1.	5.2	खाता “ख” के ब्याज को खाता “क” में अन्तरित न किया जाना ।	0 .13
2.	7	अनुदान राशियों का अवरोधन ।	10.01
3.	8	औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना क्रय करना ।	0 .40
4.	9	निर्माण सामग्री का भण्डारण न करना ।	1.92

भाग - दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत सदरपुर विकास खण्ड काँगड़ा तहसील व जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 06-06-2016 से

15-06-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय सदरपुर में किया गया । आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 07 /13,02/15 व 02/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 08/13, 12/14 व 10/15 को चयनित किये गये ।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सदरपुर विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹5000/-को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 95 दिनांक 15-06-16 द्वारा सचिव,पंचायत सदरपुर से अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सदरपुर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत सदरपुर के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	168937	859263	1028200	115389	912811
2014-15	912811	88019	1000830	272571	728259
2015-16	728259	82746	811005	588695	222310

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत सदरपुर के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	403560	1357914	1761474	1308255	453219
2014-15	453219	1713951	2167170	1705217	461953
2015-16	461953	2557028	3018981	2017962	1001019

स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योगः– ₹1223329 / –

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खातासंख्या	अनुदान का नाम	जमा राशि
1.	KCC KANGRA	20033022653	12th,13thF.C,3rdstste	158296
2.	KCC 53 MILE	20126012062	-----do--------	249293
3.	KCC 53 MILE	50056062890	NCRD	1
4.	KCC 53 MILE	50056062981	SDP	1025
5.	KCC 53 MILE	50056063009	TSC	50255
6.	KCC 53 MILE	50056062903	IAY	1340
7.	KCC 53 MILE	50056062914	VKVNY	1980
8.	KCC 53 MILE	50056062506	NRHM	1735
9.	KCC 53 MILE	50056062970	13 th,14th F.C,ZP	758597
10.	HGB KANGRA	0120475	SABHA FUND	788
11.	KCC 53 MILE	2012609558	MANREGA	शून्य
			बैंक में कुल जमा राशि	**₹1223310**

(i) :- अन्त शेष का विवरण :-

(क)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (1+2)**:- ₹1223329**

(ख)दिनांक 31-3-16 को बैंक में कुल जमा राशि :- ₹1223310

(ग) हस्तगत राशि :- ₹19

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा । यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त **सहायता अनुदान , विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और** अन्य संस्थाओं से प्राप्त **ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है । अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना** सुनिश्चित **किया जाये ।**

lllqql

5.1 नियमों के विरुद्ध दस बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है । जिसमे से खाता (क) में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है ।परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार दस बैंक बचत खाते खोले गए है । अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन आठ अतिरिक्त खातों को बन्द **करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना** सुनिश्चित **किया जाये ।**

5.2 खाता "ख" में अर्जित ₹ 0.13 लाख के ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना:-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता (ख) में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है । परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है । निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता (ख) से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को **उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु** परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित **नहीं किया गया ।इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता (ख) के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता (क) में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना** सुनिश्चित **किया जाए ।**

खाता स०	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	8/13	2/14	8/14	2/15	8/15	2/16	
50056062903	25	428	257	293	254	83	1340
50056062890	---	221	88	35	1	---	345
50056062970	---	68	167	698	42	437	1412
50056062506	----	----	353	404	596	382	1735
50056063009	---	---	2234	1859	1748	1152	6993
50056062981	-----	---	----	819	186	20	1025
कुल जोड़	25	717	3099	4108	2827	2074	₹12850

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classifide abstract) **को तैयार न करने बारे :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार **एक** भाग **आय** के लिए **तथा** दूसरा भाग **व्यय के लिए** तैयार किया जाना अपेक्षित है। **जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी ।प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी ।इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए**

जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए ।

6 गृह-कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत , ग्रहकर,इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव v में ग्रह-कर के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । जो की एक गम्भीर अनियमितता है । अत:पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

6.1 गृह-कर के रूप में वसूली ₹160/- की राशि कम जमा करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान आय की जाँच परीक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार ग्रह -कर के रूप में वसूली ₹160 /- की राशि को जमा नहीं किया गया था । अंकेक्षण द्वारा आपत्ति जताने पर सचिव द्वारा उक्त कम जमा राशि को रसीद संख्या :-266133 दिनांक 15-06-16 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है । भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।

दिनांक	रसीद संख्या	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा
04-02-16	265075 व 265076	120	80	40
08-06 -16	265160	80	शून्य	80
15-06-16	266011 से 266022	680	640	40
			कुल कम जमा राशि	₹160

7 अनुदान ₹10.01 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹10.01 लाख उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से

अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.40 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹0.40 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है ।चर्चा के दौरान सचिव ग्राम पंचायत सदरपुर को अवगत करवा दिया गया है।अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **क्रय की गई ₹ 1.92 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण , भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है ।परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-3 पर ₹ 1.92 लाख की निर्माण सामग्री को क्रय करने उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया।जो की एक गम्भीर अनियमितता है । अत: उक्त बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 **विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया, जोकि अनियमित था । अत:नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	फर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	ग्रह कर वसूली व बकाया रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर		
3.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर		
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
5.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

12 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते }नियम 2002 **के नियम** 93 (**ए**)(1) **के अन्तर्गत एक** सह**भागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही** है। अतः निर्माण कार्यों का निष्पादन नियमानुसार समिति का गठन कर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

gg

13. लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

14 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 5/2016–खण्ड–1–4228–4231 दिनाँकः28.07.2016
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009.
2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत सदरपुर, विकास खण्ड काँगड़ा, तहसील देहरा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट -2 पैरा–8 के सन्दर्भ में

(क)स्व स्त्रोत + अनुदान

क्रम संख्या	**वा॰ संख्या ,माह/वर्ष**	**रोकड़ बही पृष्ट संख्या**	**विवरण**	**राशि**
1.	93 , 10/15	17	**डाटा कार्ड, की बोर्ड,पेनड्राइव**	2725
2.	96 , 10/15	18	**सैटरिंग**	10600
3.	98 , 10/15	19	**सरिया व वायर**	4577
4.	101 , 10/15	19	**स्टेशनरी**	4100
5.	105, 10/15	20	**बजरी, रेत, बोल्डर पत्थर**	13170
6.	111, 10/15	21	**कम्प्यूटर मुरम्मत**	4350
			कुल जोड़	**₹39522**

परिशिष्ट -3 पैरा–9 के सन्दर्भ में

क्रम संख्या	**वा० संख्या ,माह/वर्ष**	**रोकड़ बही पृष्ट संख्या**	**विवरण**	**राशि**
1.	93 , 10/15	17	**डाटा कार्ड**, **की बोर्ड**,**पेनड्राइव**	2725
2.	98 , 10/15	18	111.750 kg **सरिया** ,**वायर**	4577
3.	101 , 10/15	19	15 **स्टॉक रजिस्टर**	4100
4.	102**व** 103 10 /15	19	9 **सोलर लाइट**	167400
5.	105, 10/15	20	4cum **बजरी**, 2cum **रेत**, 7cum **बोल्डर पत्थर**	13170
			कुल जोड़	**₹191972**